भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1032

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में जनशक्ति की कमी

1032. श्रीमती वानसुक साइम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जनशक्ति की भारी कमी से जूझ रही है, जबकि अवसंरचना तथा जनशक्ति के विस्तार संबंधी इसका विजन दस्तावेज अभी भी सरकार के पास लंबित है:

(ख) क्या एनअईए अधिसंख्य अधिकारियों वाली एजेंसी बन गई है क्योकि इसे सीबीआई की तरह अधिकारी-परक एजेंसी माना गया था, जबकि इसकी मुल क्षमता के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे कांस्टेबलों/निरीक्षकों की जरूरत है जो फील्ड में इसे आगे बढ़ा सकें; और

(ग) क्या इसमें जनश्क्ति की वर्तमा्न कमी के कराण इसे अपने जांच स्कंध से हटाकर कुछ कार्मिकों को रोजमर्रा के कार्यालय के कामों में लगाना पड़ा था?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ग) : एनआईए ने एक विज़न डाक्यूमेंट सौंपा था, जिसमें एन आई ने 1322 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव किया था। इस मंत्रायल द्वारा एनआईए के प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह पाया गया कि 816 की कुल स्वीकृत पद संख्या में से बड़ी संख्या में पदों को नहीं भरा गया है (254)। अत :, गृह मंत्रलय के दिनांक 07.08.2014 के यू.औ. सं. 11034/23/2010 – पी. एफ –III के माध्यम से एनआईए को पहले अपने रिक्त पदों को भरने का परामर्श दिया गया था। दिनांक 13.02.2015 की स्थिति के अनुसार एनआईए की शाखा-वार स्वीकृत पद सं. निम्नानुसार है:-

कार्यालय का नाम	स्वीकृत	तैनात	रिक्त
एनआईए मुख्यालय, दिल्ली	343	284	59
शाखा कार्यालय, मुंबई	95	57	38
शाखा कार्यालय, हैदराबाद	110	81	29
शाखा कार्यालय, गुहावाटी	87	56	31
शाखा कार्यालय, लखनउ	71	55	16
शाखा कार्यालय, कोलकाता	81	17	64
शाखा कार्यालय,कोच्चि	29	29	0
कुल	**816**	**579**	**237**

एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे अधिकांश मामले विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आते हैं, जिनमें उप पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ रैंक के अधिकारी द्वारा जांच किए जाने का अधिदेश है।

एनआईए के प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए स्वीकृत पदों में कार्यपालक, अनुसचिवीय, आईटी शाखा, विधि अधिकारी, तकनीकी शाखा एवं अन्य शाखा शामिल हैं।